



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239294
CG-DL-E-03102022-239294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 243]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

(मामला संख्या: एमटीआर -07/2022)

विषय- चीन जन.गण. मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कास्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत।

फा. सं. 7/17/2022-डीजीटीआर.—1. मैसर्स सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट (जिसे यहां आगे 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' अथवा 'संबद्ध सामान' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 में (जिसे यहां आगे 'नियमावली' भी कहा गया है) के अनुसार भारत में समान वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने अनुरोध किया है कि मैसर्स कुनकई ऐटिरियल टैक्रोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का पुनःमूल्यांकन किए जाने और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

क. पूर्व जांच की पृष्ठभूमि

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 8 जून, 2021 के अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 6/8/2020-डीजीटीआर द्वारा चीन जन.गण. से प्राकृतिक माइका आधारित इंडस्ट्रियल पिगमेंट के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की, जो दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 47/2029-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था। आवेदक ने निर्यातक मैन कुनकई मैटिरियल टैक्रोलॉजी कंपनी लिमिटेड के संबंध में दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच मध्यावधि समीक्षा होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो पूर्व जांचों में है। विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित है:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “कास्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट” है।”

“विचाराधीन उत्पाद रासायनिक रूप से टाइटेनियम डायोक्साइड कोटेड माइकानेनियस और लस्टर्स पर्लसेंट पिगमेंट है और वाणिज्यिक रूप से बाजार स्थल में टाइटेनियम डायऑक्साइड अथवा आयरन ऑक्साइड कोटेड माइका पर्ल पिगमेंट अथवा पर्ल डस्टर्स पिगमेंट्स अथवा पर्ल पिगमेंट्स के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से कुछ अनार्गेनिक पिगमेंट्स के रूप में वर्णित रंग अथवा अन्य प्रभाव प्रदान करने/लस्टर्स/साइनिंग फ्रेस्टेड प्रभाव देते हुए एजेंटों पर रंग करने ऐसे पर्लसेंट प्रभाव देने कोटिंग के लिए मैटेलिक प्रभाव देने स्याही और प्लास्टिक का प्रयोग के लिए किया जाता है।

5. संबद्ध सामान प्रशुल्क 3206 11 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 32 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत को निर्यातित संबद्ध सामान उनके द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान तकनीकी विशिष्टियों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों के तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और नियमावली के तहत ‘समान वस्तु’ माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की ‘समान वस्तु’ माने जा रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन पत्र भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों के रूप में मैसर्स सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। घरेलू उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और इसीलिए वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं।

ड. समीक्षा के लिए आधार

8. आवेदक ने दावा किया है कि निम्नलिखित कारणों से फुजियन कुनकई मैटिरियल टैक्रोलाजी कंपनी लिमिटेड के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है:

- क. आवेदक ने अनुरोध किया है कि पूर्व जांच और वर्तमान अवधि के बीच निर्यातक द्वारा निर्यातित उत्पाद स्वरूप में काफी परिवर्तन है।

- ख. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि कच्ची सामग्री के कारण लागतों में वृद्धि निर्यात कीमत में वृद्धि में आनुपातिक रूप से नहीं दर्शाई गई है।

- ग. आवेदक ने अनुरोध किया है कि पीसीएन की निर्यात कीमत कच्ची सामग्री की कीमत वृद्धि से कम बढ़ी है।

- घ. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि कुछ पीसीएन के लिए निर्यात कीमत में भारी औसत वृद्धि नकारात्मक है, जबकि लागतों में भारी औसत वृद्धि सकारात्मक है।
9. अतः आवेदकों ने दावा किया है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- च. जांच की शुरुआत**
10. भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा विधिवत् सिद्ध लिखित आवेदन पत्र के आधार पर और खुद को संतुष्ट करके, पाटन को सिद्ध करने वाले प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता और नियमावली के नियम 23(1क) के साथ पठित अधिनियम नियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों पर पूर्व में बढ़ाए गए पाटनरोधी शुल्क राशि पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए मध्यावधि समीक्षा शुरू करते हैं।
- छ. संबद्ध देश**
11. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा का क्षेत्र चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों तक है।
- ज. जांच की अवधि (पीओआई)**
12. वर्तमान जांच (पीओआई) के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि 1 अप्रैल 2021 31 मार्च 2022 है।
- झ. प्रक्रिया**
13. यह समीक्षा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तथा दिनांक 8 जून, 2021 के अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 6/8/2020-डीजीएडी और दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए शुल्कों की मात्रा तक सीमित होगी।
14. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।
- ञ. सूचना प्रस्तुत करना**
15. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd12-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in, एक प्रति सहित adg14-dgtr@gov.in, adv14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
16. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस अधिसूचना के पैरा 23 में उल्लिखित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचनाएं दायर कर सकें। सभी संगत सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना द्वारा निर्धारित, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार स्वरूप एवं तरीके में दायर की जानी चाहिए।
17. अन्य कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच की शुरुआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और इस जांच की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार स्वरूप और तरीके में वर्तमान जांच के संगत अनुरोध कर सकते हैं।
18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
19. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पते dd12-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in, जिसकी एक प्रति सहित adg14-dgtr@gov.in, adv14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए, । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
22. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करे वहां उन्हें पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाए जाने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाया जाना चाहिए, और इस प्रकार का अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है अथवा गोपनीय अनुरोध करता है, वहां पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार की मार्किंग के बिना प्राधिकारी को किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा ‘अगोपनीय’ सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने की छूट होगी।
25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर में अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा ब्लैकड आउट (जहां सूचीकरण संभव नहीं है) गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रदर्शिका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और उस सूचना का गोपनीयता का दावा की जाने वाली सूचना के आधार पर उपयुक्त और पर्याप्त रूप से सार दिया जाना चाहिए।
26. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
27. अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज का अगोपनीय रूपांतर प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता के संबंध में टिप्पणी कर सकता है।

ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें।

ढ. असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर अथवा उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है जांच में काफी बाधा डालता तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2022

(Case No. MTR -07/2022)**Subject: Initiation of Mid Term Review of anti-dumping duty imposed on the imports of “Natural mica based pearl industrial pigments excluding cosmetic grade” originating in or exported from China**

F. No. 7/17/2022-DGTR.—1. M/s Sudarshan Chemicals Industries Ltd. (hereinafter also referred to as the "applicant") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") as domestic industry of the like article in India, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for initiation of a mid-term review investigation concerning imports of "Natural Mica based Pearl industrial Pigment excluding cosmetic grade" (hereinafter also referred as the "product under consideration" or the "PUC" or the "subject goods"), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").

2. The applicant has submitted that there is a need to re-evaluate and enhance the anti-dumping duty levied against imports of the subject goods exported by M/s Kuncai Material Technology Company Limited.

A. Background of previous investigation

3. The Designated Authority recommended anti-dumping duty on imports of Natural Mica Based Pearl Industrial Pigment from China PR vide final findings File No. 6/8/2020-DGTR, dated the 8th June, 2021, which was levied vide Notification No. 47/2019 – Customs (ADD) dated 26th Aug., 2021. The applicant has requested for enhancement of the anti-dumping duties levied vide Notification No. 47/2021- Customs (ADD) dated 26th August 2021 in respect of the exporter M/s Kuncai Material Technology Company Limited.

B. Product under consideration

4. The present investigation being a mid-term review, the scope of the product under consideration is the same as that in the previous investigation. The product under consideration is:

"The product under consideration in the present investigation is "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade".

The product under consideration is chemically titanium dioxide coated micaceous and lustrous pearlescent pigment and is commercially known in the marketplace as Titanium Dioxide or Iron Oxide coated Mica Pearl Pigment or Pearl Lustre Pigments or Pearl Pigments. It is extensively used to impart colours and other effects such as described as certain inorganic pigments/colouring agents giving lustrous/shinning frosted effects, such as pearlescent effects, metallic effects, for coating, inks and plastics application"

5. The subject goods are classified under Chapter 32 of the Customs Tariff Act under the tariff code 3206 11. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

C. Like article

6. The applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by them. The subject goods produced by the applicant are comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. Domestic industry

7. The application has been filed by M/s Sudarshan Chemicals Industries Limited, as domestic producers of the like article in India. The domestic producers constitute a major proportion of the total domestic production, and therefore, constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

E. Grounds for review

8. The applicant has claimed that there is a need for re-evaluation of dumping margin and injury margin for the Fujian Kuncai Material Technology Company Ltd, due to the following:
- a. The applicant has submitted that there is a significant shift in the product profile exported by the exporter between the previous investigation and the present period.
 - b. The applicant has also submitted that increase in costs on account of raw materials is not proportionately reflected in the increase in the export price.
 - c. The applicant has submitted that the export price of some PCNs has increased less than raw material price increase.
 - d. The applicant also submitted that the weighted average increase in export price for few PCN is negative, whereas the weighted average increase in costs is positive.
9. The applicant has therefore, claimed that there is a need for enhancement of anti-dumping duties levied.

F. Initiation

10. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic producer of the like article in India, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence substantiating dumping need for a mid-term review of anti-dumping duty earlier imposed on the subject goods originating in or exported from China PR, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23(1A) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a mid-term review to examine the need for redetermining the quantum of the anti-dumping duty earlier extended on subject goods from China PR.

G. Subject Country

11. The scope of the present mid-term review is confined to the subject goods originating in or exported from China PR.

H. Period of Investigation (POI)

12. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April, 2021 to 31st March, 2022.

I. Procedure

13. The review would be limited to the dumping margin and injury margin determined and quantum of duties levied vide final findings F. No. 6/8/2020-DGTR dated 8th June, 2021 and Notification No. 47/2021-Customs (ADD) dated 26th August, 2021.
14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

15. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email address dd12-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in, and adv14-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

16. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in para 23 of this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

17. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within time limit mentioned in this initiation notification.

18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

19. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd12-dgtr@gov.in and dd16-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in, and adv14-dgtr@gov.in

within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

22. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

23. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

24. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

25. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

26. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The other interested parties can comment on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

28. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority